झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या–वाकर1/कम्प्यू/प्रशिक्षण/1/2011–　　　　　　/राँची, दिनांक–

प्रेषक,

श्रीमती नीलम गुप्ता,
वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन),

विषय : **वाणिज्य–कर विभाग के उन्नत संस्करण (Upgrade version) Version II के प्रशिक्षण के संबंध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय सॉफ्टवेयर के उन्नत संस्करण के विभिन्न **Modules** से संबंधित प्रशिक्षण का दूसरा सत्र **दिनांक 01.12.2014** से प्रारंभ किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण विभिन्न व्यवसायियों, व्यवसायिक संघों, **Tax Practitioner**, अधिवक्तासंघों के लिए आयोजित की जा रही है। उक्त प्रशिक्षण आप अपनी सुविधानुसार प्रमण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र या उपलब्ध किसी बड़े कक्ष/सभागार में आयोजित करा सकते हैं। संबंधित प्रशिक्षण की सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार करें ताकि इच्छुक व्यवसायी एवं अधिवक्ता अधिकतम संख्या में प्रशिक्षण–सत्र में भाग ले सकें। विभाग द्वारा समाचार पत्रों तथा वेबसाईट के माध्यम से भी उक्त प्रशिक्षण–सत्र की सूचना दी जा रही है। **प्रमण्डलवार प्रशिक्षण–सत्र की सूचना पत्र के साथ संलग्न है।**

2. बड़े प्रमण्डलों में प्रशिक्षण की अवधि **3 दिन** तथा छोटे प्रमण्डलों में प्रशिक्षण की अवधि **2 दिन** रखी गयी है। उक्त अवधि में सुविधानुसार अपने पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराना भी अपेक्षित है। आवश्यकतानुसार हजारीबाग तथा संथाल परगना प्रमण्डल प्रशिक्षण की अविध संलग्न प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त एक–एक दिन (कमशः दिनांक 13.12.2014 तथा दिनांक 17.12.2014) बढ़ा सकते हैं। उक्त प्रशिक्षण सत्र के उपरांत पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण **Video Conferencing** के माध्यम से कराया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रशिक्षण–सत्र में अधिकतम संख्या में व्यवसायियों, व्यवसायिक संघों, अधिवक्ता, अधिवक्तासंघो तथा पदाधिकारियों/कर्मचारियों का भाग लेना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

अनु0–यथोक्त।

ह0/–
वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

/पंकज

ज्ञापांक– वाकर1/कम्प्यू/प्रशिक्षण/1/2011–　　　　　　राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि– **सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी** को सूचनार्थ एवं सभी व्यवसायियों तथा कर–अधिवक्ताओं के मध्य परिचालन के अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह0/–
वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– वाकर1/कम्प्यू/प्रशिक्षण/1/2011– 4168　　　　　　राँची, दिनांक– 27/11/14

प्रतिलिपि– **श्री हितेन्द्र चौहान, प्रोजेक्ट मैनेजर, टी0सी0एस0** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/11/14

वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।